नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2017

अधिसूचना

सं. 9/2017-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(77). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी कटौतीकर्ता द्वारा, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के अधीन राज्य के भीतर माल या सेवा या दोनों की पूर्ति पर किसी पूर्तिकार से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण राज्य कर से, इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है कि कटौतीकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 24 के उपखंड (vi) के अधीन अन्यथा रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2017

क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(77). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(77), दिनांक 28-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 28th June 2017

NOTIFICATION

No. 9/2017-State Tax (Rate)

No. F-10-43/2017/CT/V (77). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgrh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods or services or both received by a deductor under section 51 of the said Act, from any supplier, who is not registered, from the whole of the state tax leviable thereon under sub-section (4) of section 9 of the said Act, subject to the condition that the deductor is not liable to be registered otherwise than under sub-clause (vi) of section 24 of the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.